कार्यालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज (बरेली)।

पत्रांक: 18 /09 दिनांक: 7/3 /2009

सचिव,
राजश्री एजूकेशनल ट्रस्ट,
बी–65, एकता नगर, बरेली।

आपके द्वारा दिनांक 30.01.09 को ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में स्थित गाटा सं0 288, 289, 290, 292, 293 व 294 में इंजीनियरिंग कालेज निर्माण हेतु चाही गई अनापत्ति के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नवाबगंज से जॉच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार की आख्यानुसार प्रश्नगत उपरोक्त गाटा नम्बरान का सम्पूर्ण क्षेत्रफल मौके पर एकीकृत रूप में है। न्यायालय द्वारा आकृषिक प्रयोजनार्थ अन्तर्गत धारा 143 एल0आर0 एक्ट उद्घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त नम्बरान में राजश्री एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रश्नगत इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें अन्य सभी विधिक अर्हताओं व औपचारिकताओं व मानकों को ट्रस्ट द्वारा पूर्ण करते हुए प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक तथ्य वर्तमान में उद्भाषित होना प्रतीत नहीं होता है। अतः शिक्षण हेतु निर्माण कार्य कराये जाने में कोई आपत्ति नही है।

07/03/09
(बाबूराम)
उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज–बरेली।
उपजिला मजिस्ट्रेट
नवाबगंज, बरेली